(34)

राजस्थान सरकार
गृह (मुख्य सतर्कता आयुक्त) विभाग

क्रमांकः प. 60(1) सी.वी.सी./03 जयपुर दिनांकः 1/6/2004

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. महानिदेशक पुलिस, ए.सी.बी. राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक

परिपत्र

विषयः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के प्रकरणों में निलंबित लोकसेवकों के मुख्यालय के संबध में।

दिनांक 26–05–04 को प्राक्कलन समिति के समक्ष विचार विमर्श के दोरान यह बिन्दु ध्यान में लाया गया कि कुछ लोक सेवकों के मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ट्रेप करने के बाद में नही बदले जाते है, जिससे प्रकरण के अनुसंधान पर विपरीत प्रभाव पडता है। अतः समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जिन लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरण अनुसंधानाधीन है और जो निलंबित है उनका मुख्यालय उस स्थान पर नहीं रखा जावे जहां उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है। उनका मुख्यालय उस स्थान से अलग रखा जावे ताकि प्रकरण के अनुसंधान पर विपरीत प्रभाव नहीं पडे।

इस संबंध में पूर्व में भी समय समय पर इस प्रकार के आदेश/निर्देश जारी हुए हैं। उनकी पालना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, न्याय, परिवहन विभाग
एवं पदेन मुख्य सर्तकता आयुक्त

CVC